संख्या- 87 /2020/1632 /30-3-2020

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 04 दिसम्बर, 2020

विषय- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के नामांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-973ए/2020-13ए/2016, दिनांक 16-06-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को एतद्द्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-87/2020/1632(1)/30-3-2020, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी । (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)
4- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।